

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
संख्या संख्या 808/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)  
रामस्वरूप बैरवा पुत्र औदारनाथ बैरवा, जाति बैरवा, निवासी बैरवा की ढागी, कियानपुरा, तहसील बस्ती,  
जिला जयपुर।

प्रार्थी


**बनान**

1. गौडासीन अधिकारी सहायक कलेक्टर बस्ती, जिला जयपुर।
2. ललिता पुत्री सीताराम पत्नी कानाशन, जाति रैगर, निवासी रैगरो का नोहल्ला, ग्राम बनर, तहसील बनर, जिला जयपुर हाल निवासी रैगरो का नोहल्ला, कल्याण खातीपुरा, दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

मुख्य अप्रार्थीनाम

3. लक्ष्मीनाथय्या पुत्र नोकुल चन्द, जाति कौली, निवासी सांभरिया रोड, कौलियों की ढागी, ननोहरपुरा, तहसील बस्ती, जिला जयपुर।
4. श्रीमती विनीता देवी पत्नी केशर लाल, जाति रैगर, निवासी खाटी के पीछे, तहसील बस्ती, जिला जयपुर।
5. श्रीमती संतसा पत्नी केशर लाल, जाति रैगर, निवासी खाटी के पीछे, तहसील बस्ती, जिला जयपुर।
6. नन्दी देवी पत्नी मनवान सहाय, जाति रैगर, निवासी ग्राम बस्ती, तहसील बस्ती, जिला जयपुर।
7. मनवानी देवी पत्नी हीमालाल, जाति रैगर, निवासी ग्राम दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
8. शंकर लाल पुत्र सीताराम, जाति रैगर, निवासी रैगरो का नोहल्ला, ग्राम बनर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. हंसराज पुत्र सीताराम, जाति रैगर, निवासी रैगरो का नोहल्ला, ग्राम बनर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. दुर्गा देवी पुत्री सीताराम पत्नी जितेन्द्र, जाति रैगर, निवासी रैगरो का नोहल्ला, बनर हाल निवासी तहसील सांभर जिला जयपुर।
11. सेना देवी पुत्री सीताराम पत्नी नहेस कुमार, जाति रैगर, निवासी बनर, तहसील सांगानेर, जयपुर हाल निवासी रोजडी, तहसील सांभर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीनाम



मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-235, राजस्थान कास्टकारो  
अविनियम विरुद्ध सहायक कलेक्टर बस्ती, जिला जयपुर के  
तनक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 172/2025 ब-उनवानी ललिता  
बनान रामस्वरूप व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थित:-

1. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 16.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलेक्टर बस्ती, जिला जयपुर के तनक्ष संख्या 172/2025 ब-उनवानी ललिता बनाम रामस्वरूप व अन्य विचाराधीन है, जिसमें गौडासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र तनक्ष न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर  
जयपुर

- मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से श्री राधिन शर्मा अभिभाषक ने वकालतनाम पेश किया।
- बहस उभय पक्ष सुनी गई।
- प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का व्यवहार प्रकरण में कतई न्यायोचित नहीं है तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव व प्रलोभन में है तथा उक्त प्रकरण को प्रार्थी के विरुद्ध निस्तारित करने पर आमादा है, जो कतई न्याय के मंशा के अनुकूल नहीं है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में अनावश्यक रुची लेते हुये विधिक प्रावधानों का भी ध्यान नहीं रखते हुये निर्णय करने पर आमादा है। प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलाने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।
5. अप्रार्थीगण संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौरान सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर को प्रेषित हो।

पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलक्टर  
जयपुर